

आदेश

क्रमांक : पी.आई. / 23 / 2016 /

दिनांक : 07.10.2016

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के अनुपस्थित रहने या उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में उक्त न्यायालयों का दैनिक एवं आवश्यक कार्य हेतु तुरन्त प्रभाव से अधिकृत किया जाता है :-

कोटा

I

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, कोटा	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, कोटा	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-03, कोटा
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, कोटा	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-03, कोटा	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, कोटा
3	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-03, कोटा	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, कोटा	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, कोटा

जयपुर

II

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, जयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, जयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-03, जयपुर
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, जयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-03, जयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, जयपुर
3	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-03, जयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, जयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, जयपुर

बीकानेर

III

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	प्रथम लिंक न्यायालय
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, बीकानेर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, बीकानेर
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-02, बीकानेर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम-01, बीकानेर

नोट :- सभी पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहने की स्थिति में पी.आई. संख्या 12/93 दिनांक 30.09.1993 का आदेश प्रभावी रहेगा ।

आज्ञा से



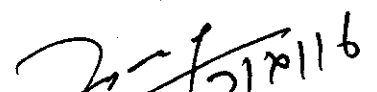
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक स्था. बी2(iv)/1/2012/10751

दिनांक : 07.10.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर ।
3. महालेखाकार, जयपुर (राजस्थान) ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार (सतर्कता)/रजिस्ट्रार (प्रशासन)/रजिस्ट्रार (नियम)/ रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)/रजिस्ट्रार (परीक्षा)/ओ.एस. डी.(एफ. एण्ड आई), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
5. रजिस्ट्रार एवं प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
6. समस्त निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस आदेशों की प्रतिलिपि सभी माननीय न्यायाधिपति महोदयों को उनके निजी अंग्रेज के मार्फत, पदेन सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा जयपुर पीठ में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीयों को वितरित करावे ।
8. उप पंजीयक (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर पीठ, जयपुर ।
9. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस कार्यलय द्वारा प्रेषित पत्रांक 17022 दिनांक 08.10.2015 के निर्देशानुसार इस आदेश की प्रतिलिपि आनेक न्यायक्षेत्र में पदस्थापित समस्त सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी / न्यायालय / कोषालय को वितरित करावे ।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।
11. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, वर्गीकरण शाखा (वेबसाइट), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।



रजिस्ट्रार (प्रशासन)